सत्यमेव जयते
न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–52/2024 दर्ज तिथि:–28.06.2024

1. चौखाराम पुत्र भभूताराम
2. पुनमाराम पुत्र भभुताराम
3. हीराराम पुत्र भभुताराम
4. श्रीराम पुत्र भभुताराम
5. रामारामपुत्र फुलाराम
6. रिड़मलरामपुत्र धीमारामफौत के कायममुकाम
   6/1 ठाकरारामपुत्र रिड़मलराम
   6/2 ओमप्रकाशपुत्र रिड़मलराम
   6/3 सुगणी पत्नीरिड़मलराम
   6/4 कालीपुत्री रिड़मलराम
   6/5 नेनूपुत्री रिड़मलराम
   6/6 कबूपुत्री रिड़मलराम
7. हिरकनपुत्र धीमाराम
8. प्रभूरामपुत्र धीमाराम
   जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असलवादीगण

बनाम

1. धर्माराम पुत्र रतनाराम
2. जीयारामपुत्र खीयाराम
3. बंशीपुत्र जोधाराम
4. गोरखारामपुत्र जोधाराम
5. लुंगादेवीपत्नीजोधाराम
6. हीरारामपुत्र धर्माराम
7. श्रीरामपुत्र धर्माराम
   जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

8. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैक शाखा गुड़ामालानी
9. तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:–श्री ओमप्रकाश विश्नोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested

चौखाराम बनाम धर्माराम
2024 / 139
निर्णय दिनांकः—17.04.2026
प्रतिवादीगण— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथिः—17.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 50 रकबा 12.1729 है0, खसरा संख्या 52 रकबा 3.9012 है0 तथा खसरा संख्या 48 रकबा 6.8149 है0 वाके ग्राम सनावड़ा कला पटवार हल्का भीमथल, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तत्पश्चात पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य नियत की गई । वादी अधिवक्ता ने पत्रावली में बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधे बहस का निवेदन किया। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादीगण की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में वादी [illegible]कता द्वारा बिना तनकीयात व साक्ष्य के पत्रावली में जमा[illegible] मिट्स एण्ड बाउण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का हिस्सा विभाजन किये जाने का कथन किया। प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता ने बिना साक्ष्य करवाये प्रकरण में सीधे बहस के आधार पर प्रकरण में वादी व प्रतिवादी का दावा स्वीकार कर विभाजन किये जाने का कथन किया। तत्पश्चात प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी दिनांक 14.11.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2026/645 दिनांक 06.04.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 01.04.2026 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/ गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण की दिनांक 01.04.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण वास्ते बहस नियत किये जाने के दौरान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी वास्ते एक तरफा कार्यवाही मन्सुख करने का पेश कर साथ एक प्रार्थना पत्र वास्ते विभाजन मौका रिपोर्ट पुनःकब्जा अनुसार मंगवाने का पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली का अवलोकन से पाया गया कि प्रतिवादीगण के सम्मन सम्यक तामिली रिपोर्ट अनुसार दिनांक 31.07.2024 विधिवत तामिल होने के बावजूद न्यायालय हाजा उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 21.03.2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गइ। दिनांक 31.07.2024 से 17.04.2026 तक प्रतिवादीगण को वाद के बारे में पूर्ण जानकारी होने के बावजूद उपस्थित न्यायालय नहीं होने तथा अंतिम बहस के दौराने प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रतीत होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 खारीज किया जाना है। प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमा... कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि ...गण एवं असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested

हाल आराजी खसरा संख्या 50 रकबा 12.1729 है0, खसरा संख्या 52 रकबा 3.9012 है0 तथा खसरा संख्या 48 रकबा 6.8149 है0 वाके ग्राम सनावड़ा कला पटवार हल्का भीमथल, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जा:— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलन:— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षति:— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 50 रकबा 12.1729 है0, खसरा संख्या 52 रकबा 3.9012 है0 तथा खसरा संख्या 48 रकबा 6.8149 है0 वाके ग्राम सनावड़ा कला पटवार हल्का भीमथल, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरंग
1.	गोरखाराम पुत्र जोधाराम बंशीलाल पुत्र जोधाराम लूंगादेवी पत्नी जोधाराम रामाराम पुत्र फूलाराम पूनमाराम पुत्र वभुताराम चौखाराम पुत्र वभुताराम श्रीराम पुत्र वभुताराम हीराराम पुत्र वभुताराम कौम विश्नोई सा.हदेह खातेदार	7212/58076 6358/58076 6358/58076 19074/58076 19074/232304 19074/232304 19074/232304 19074/232304	48 52 50 50	1.7037 2.9597 0.9415 0.2027	0.50 1.17 — 0.07	बा.सो. बा.सो. — बा.सो.	नारंगी
			4	5.8076	1.74	बा.सो.	
2.	धर्माराम पुत्र रतनाराम श्रीराम पुत्र धर्माराम हीराराम पुत्र धर्माराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	44815/56453 8519/56453 8519/56453	48 50	1.7038 3.9415	0.50 1.18	बा.सो. बा.सो.	हरा
			2	5.6453	1.68	बा.सो.	
3.	जीयाराम पुत्र खींयाराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	सम्पूर्ण	52 50	0.9415 3.0000	— 1–18	— बा.सो.	बैंगनी
			2	3.9415	1–18	बा.सो.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested

4.	प्रभुराम पुत्र धीमाराम हिरकनराम पुत्र धीमाराम ठाकराराम पिता रिड़मल ओमप्रकाश पिता रिड़मल सुगणी पत्नी रिड़मल काली पुत्री रिड़मल नेनू पुत्री रिड़मल कबू पुत्री रिड़मल कौम विश्नोई सा.देह खाते. रहन रिड़मल व हिरकन का हिस्सा एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	19074/73490 35342/73490 19074/440940 19074/440940 19074/440940 19074/440940 19074/440940 19074/440940	48 48 50	1.7037 1.7037 3.9416	0.52 0.52 1.18	बा.सो. बा.सो. बा.सो.	लाल
			3	7.3490	2.22	बा.सो.	
5.	रास्ता हेतु		50	0.1456	0.04	बा.सो.	काला

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–52 / 2024

दर्ज तिथि:–28.06.2024

1. चौखाराम पुत्र भभूताराम
2. पुनमाराम पुत्र भभुताराम
3. हीराराम पुत्र भभुताराम
4. श्रीराम पुत्र भभुताराम
5. रामारामपुत्र फुलाराम
6. रिड़मलरामपुत्र धीमारामफौत के कायममुकाम
   6 / 1 ठाकरारामपुत्र रिड़मलराम
   6 / 2 ओमप्रकाशपुत्र रिड़मलराम
   6 / 3 सुगणी पत्नीरिड़मलराम
   6 / 4 कालीपुत्री रिड़मलराम
   6 / 5 नेनूपुत्री रिड़मलराम
   6 / 6 कबूपुत्री रिड़मलराम
7. हिरकनपुत्र धीमाराम
8. प्रभूरामपुत्र धीमाराम

   जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असलवादीगण

बनाम

1. धर्माराम पुत्र रतनाराम
2. जीयारामपुत्र खीयाराम
3. बंशीपुत्र जोधाराम
4. गोरखारामपुत्र जोधाराम
5. लुंगादेवीपत्नीजोधाराम
6. हीरारामपुत्र धर्माराम
7. श्रीरामपुत्र धर्माराम

   जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

8. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैक शाखा गुड़ामालानी
9. तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested

चौखाराम बनाम धर्माराम
2024 / 139
निर्णय दिनांक:–17.04.2026
उपस्थित अधिवक्ता
वादी:–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीगण– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 50 रकबा 12.1729 है0, खसरा संख्या 52 रकबा 3.9012 है0 तथा खसरा संख्या 48 रकबा 6.8149 है0 वाके ग्राम सनावड़ा कला पटवार हल्का भीमथल, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरंग
1.	गोरखाराम पुत्र जोधाराम	7212 / 58076	48	1.7037	0.50	बा.सो.	नारंगी
	बंशीलाल पुत्र जोधाराम	6358 / 58076	52	2.9597	1.17	बा.सो.	
	लूंगादेवी पत्नी जोधाराम	6358 / 58076	50	0.9415	–	–	
	रामाराम पुत्र फूलाराम	19074 / 58076	50	0.2027	0.07	बा.सो.	
	पूनमाराम पुत्र वभुताराम	19074 / 232304					
	चौखाराम पुत्र वभुताराम	19074 / 232304					
	श्रीराम पुत्र वभुताराम	19074 / 232304					
	हीराराम पुत्र वभुताराम	19074 / 232304					
	कौम विश्नोई सा.हदेह खातेदार		4	5.8076	1.74	बा.सो.	
2.	धर्माराम पुत्र रतनाराम	44815 / 56453	48	1.7038	0.50	बा.सो.	हरा
	श्रीराम पुत्र धर्माराम	8519 / 56453	50	3.9415	1.18	बा.सो.	
	हीराराम पुत्र धर्माराम	8519 / 56453					
	कौम विश्नोई सा.देह खातेदार		2	5.6453	1.68	बा.सो.	
3.	जीयाराम पुत्र खींयाराम	सम्पूर्ण	52	0.9415	–	–	बैंगनी
	कौम विश्नोई सा.देह खातेदार		50	3.0000	1–18	बा.सो.	
			2	3.9415	1–18	बा.सो.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested

4.	प्रभुराम पुत्र धीमाराम हिरकनराम पुत्र धीमाराम ठाकराराम पिता रिड़मल ओमप्रकाश पिता रिड़मल सुगणी पत्नी रिड़मल काली पुत्री रिड़मल नेनू पुत्री रिड़मल कबू पुत्री रिड़मल कौम विश्नोई सा.देह खाते. रहन रिड़मल व हिरकन का हिस्सा एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	19074/73490 35342/73490 19074/440940 19074/440940 19074/440940 19074/440940 19074/440940 19074/440940	48 48 50	1.7037 1.7037 3.9416	0.52 0.52 1.18	बा.सो. बा.सो. बा.सो.	लाल
			3	7.3490	2.22	बा.सो.	
5.	रास्ता हेतु		50	0.1456	0.04	बा.सो.	काला

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:05 IST
Reason: SelfAttested